



2026:AHC:25687

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी सं. - 4543 सन् 2026

रामजीत

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : त्रिपुरारी पाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप मंडल मजिस्ट्रेट (न्यायिक), तहसील घोसी, जिला मऊ को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए की गई एकमात्र प्रार्थना, कंप्यूटर वाद संख्या T202315510200356 (कोलाहल और 2 अन्य बनाम राममिलन और 2 अन्य), जो 06.12.2022 से निर्धारित अवधि के भीतर उनके समक्ष लंबित है।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
5. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-मंडल मजिस्ट्रेट (न्यायिक), तहसील घोसी, जिला मऊ को याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरान्त मामले को बिना किसी अनावश्यक स्थगन के शीघ्रता से तय करने का, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"